न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... मु. नं0 ..... वर्ष .....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2-9-20	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रार्थना पत्र संख्या 29/2017 बउनवानी सन्तोष देवी बनाम रतिराम वगैरह में आदेश दिनांक 25.04.2017 से एकपक्षीय स्थगन जारी कर खसरा नम्बर 749,776/953 वाके ग्राम बुड़ाना तहसील झुंझुनू बाबत रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने, आवेदक के कब्जे काश्त में कोई बाधा कारित नही करने के आदेश पारित किये है। इस आदेश के उपरान्त विचारण न्यायालय में कुल 21 तारिख पेशीयां नियत की जा चुकी है। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को 4 साल का समय हो चुका है। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थीगण रेस्पोडेंट के आवेदन 212 का अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि में अपीलांट द्वारा खातेदार बिमला देवी का खसरा नम्बर 777,778,779,780,781 में 55/453 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 749 में 75/374 हिस्सा जरिये पंजिकृत विकय पत्र दिनांक 09.10.2019 को कय किया गया है। अपीलांट द्वारा विचाराधीन आदेश की कियान्विति स्थगित करने का अनुतोष चाहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में इस स्तर पर विचाराधीन आदेश की कियान्विति स्थगित करना हम विधि सम्मत नही समझते है किन्तु अपीलांट चूकिं विवादित भूमि में पंजिकृत विकय पत्र से भूमि कय कर सदभावी केता है एवं अप्रार्थी संख्या 7 के फुट स्टेप पर है अत न्यायहित में यह उचित प्रतीत होता है कि प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर आंशिक स्वीकार कर पंजिकृत विकय पत्र से कयशुदा भूमि के केता के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु विचाराधीन स्थगन में शिथिलता प्रदान किया जाना उचित होगा। फलस्वरूप अपील अपीलांट इसी स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 29/2017 बउनवानी सन्तोष देवी बनाम रतिराम वगैरह में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में संशोधन किया जाकर आदेश दिये जाते है कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि में कयशुदा भूमि जरिये पंजिकृत विकय पत्र दिनांक 09.10.2019 के आधार पर अपीलांट के नाम नामान्तकरण दर्ज करने एंव नामान्तकरण का राजस्व रिकार्ड में अमल करने पर यह स्थगन बाधक नही रहेगा। प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को बतौर अप्रार्थी/प्रतिवादी संयोजित कर उभयपक्ष को गुणावगुण पर सुनकर प्रकरण में आगामी दो माह में अन्तिम निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अहलमद सम्बंधित न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (राजवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी	